

:-सार्वजनिक सूचना:-

(आपसी सहमति से भूमि कय नीति कडिका 11(1) के अंतर्गत)

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ-12-2-2014-सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत चुटका परमाणु विद्युत परियोजना को स्थापित करने हेतु ग्राम कुण्डा प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. एवं तहसील नारायणगंज जिला मण्डला के निम्नानुसार कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू धारकों की सहमति से कय करने का विचार किया जा रहा है:-

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-नारायणगंज
(ग) ग्राम- कुण्डा प.ह.नं. 22
(घ) क्षेत्रफल-2.63 हे0

:-अनुसूची:-

ग्राम का नाम	सं.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकवा (हे0 में)	कय योग्य रकवा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
कुण्डा	1	श्रीमति जानकीबाई बे. रामदयाल, सियाराम, ओमप्रकाश पिता रामदयाल, कलावती पुत्री रामदयाल, रामधरण पिता चुखैया	136	1.99	1.99	चुटका परमाणु विद्युत परियोजना को स्थापित करने हेतु
	2	दयालसिंह पिता चुखैया	199	0.32	0.32	
	3	नोनेलाल पिता रामसिंह, श्यामबती, अमरवती पुत्री रामसिंह	205	0.32	0.32	
योग:-				2.63	2.63	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमि के संबंध में अथवा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से कलेक्टर मण्डला के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जाएंगी। कय की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(श्रीमति हर्षिका सिंह)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 12/02/2021

पृ. क./भू-अर्जन/ 20(अ-82) 2018-19/ 9 A
प्रतिलिपि:-

01. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
02. मुख्य अभियंता (सिविल)म.प्र. चुटका परमाणु विद्युत परियोजना, पंचम तल, संचार विकास भवन रेसीडेन्सी रोड, मुख्य डाकघर के पास सिविल लाईन जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. जिला प्रबंधक, ई-गवर्नेंस, जिला पंचायत मंडला को शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
04. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निवास को एक प्रति अ.वि.अ.(रा0), कार्यालय, एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग